



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No.1005]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

का.आ. 1283(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
"129ए"	मारम-परेन-जालुकी-पिमला जंक्शन - रजाफे जंक्शन - दीमापुर (मणिपुर और नागालैंड राज्य में)	किमी 181.84

[फा.सं. एनएच-14013/4/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

S.O. 1283(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Length in kilometers (Tentative)
(1)	(2)	(3)
“129A	Maram-Paren-Jaluki-Pimla Junction-Razaphe Junction-Dimapur (In the State of Manipur and Nagaland)	181.84 km

[F. No. NH-14013/4/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

का.आ. 1284(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 15 और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
15	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39, सं. 53 (किमी 0.000 से किमी 3.22), सं. 150 [किमी 445 (किमी 140.000 से किमी 402.000), (किमी 448.000 से किमी 663.000) और (किमी 120.000 से किमी 132.000 (कोहिमा – जेसामी खंड) तक खंड को	मणिपुर राज्य सरकार” ।

	छोड़कर], और नई रारा सं. 102सी के उतने भाग जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित हैं।	
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 61, सं. 155, नई रारा सं. 702, 702ए, 702बी और 702डी के उतने भाग जो नागालैंड राज्य में अवस्थित हैं।	नागालैंड राज्य सरकार”।

[फा. सं. एनएच-14013/4/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार का.आ. 809(अ), तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

S.O. 1284(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 15 and 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“15	So much of National Highway No. 39, No. 53 (from km. 0.000 to km. 3.22), No. 150 [excluding 445 kms (from km. 140.000 to km. 402.000), (from 488.000 to km. 663.000) and (from km. 120.000 to km. 132.000 (Kohima-Jessami section)] and new NH No. 102C as are situated within the State of Manipur.	State Government of Manipur”.
18	So much of National Highways No. 61, No. 155, new NH No. 702, 702A, 702B and 702D as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland”.

[F. No. NH-14013/4/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 809 (E), dated the 20th March, 2015.